न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

GCMS No.—2024/69

अपील संख्याः 15 / 2024

1 श्रीमती फूला देवी पत्नि स्व. श्री राधेश्याम शर्मा (दौराने अपील फौत) (नाम हजफ)
2 श्रीमती भंवरी देवी पुत्री स्व. श्री राधेश्याम शर्मा
निवासीयान ए–1, केसरी चन्द चौधरी नगर, ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1 बाबू भाई पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश भाई
2. राजू भाई पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश भाई
3. वालजी भाई पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश भाई
निवासीगणः– साडावाली चाली, सागर सोसायटी के नजदीक, छीपा कब्रिस्तान के सामने, गीता मन्दिर के सामने, बेगमपुरा, अहमदाबाद (गुजरात)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जयपुर।

———————

उपस्थितः–
1. श्री पुरूषोतम शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री इन्द्रजीत चौधरी अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 477 दिनांक 06.03.2024 जो कि रेस्पाडेन्ट संख्या 4 द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हक में अवैधानिक तरीके से तस्दीक किया गया।

अपील संख्याः 16 / 2024

GCMS No.—2024/70

1 श्रीमती फूला देवी पत्नि स्व. श्री राधेश्याम शर्मा (दौराने अपील फौत) (नाम हजफ)
2 श्रीमती भंवरी देवी पुत्री स्व. श्री राधेश्याम शर्मा
निवासीयान ए–1, केसरी चन्द चौधरी नगर, ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1 शिवराज गुर्जर पुत्र श्री बालुराम निवासी मकान नंबर 67, गुर्जरो का मोहल्ला, गरजेडा, तहसील मालपुरा जिला टोंक।
2. बाबू भाई पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश भाई
2. राजू भाई पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश भाई
3. वालजी भाई पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश भाई
निवासीगणः– साडावाली चाली, सागर सोसायटी के नजदीक, छीपा कब्रिस्तान के सामने, गीता मन्दिर के सामने, बेगमपुरा, अहमदाबाद (गुजरात)।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जयपुर।

———————

उपस्थितः–
1. श्री पुरूषोतम शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री इन्द्रजीत चौधरी अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से।

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 481 दिनांक 20.03.2024 जो कि रेस्पाडेन्ट संख्या 5 द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के हक में अवैधानिक तरीके से तस्दीक किया गया।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अपील संख्याः 17/2024 GCMS No.—2024/68

1 श्रीमती फूला देवी पत्नि स्व. श्री राधेश्याम शर्मा (दौराने अपील फौत) (नाम हजफ)
2 श्रीमती भंवरी देवी पुत्री स्व. श्री राधेश्याम शर्मा
निवासीयान ए–1, केसरी चन्द चौधरी नगर, ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. शंकरलाल शर्मा पुत्र श्री मीठालाल शर्मा, निवासी कलजुगों की ढाणी, कनक विहार, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
2. बाबू भाई पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश भाई
2. राजू भाई पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश भाई
3. वालजी भाई पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश भाई
   निवासीगणः– साडावाली चाली, सागर सोसायटी के नजदीक, छीपा कब्रिस्तान के सामने, गीता मन्दिर के सामने, बेगमपुरा, अहमदाबाद (गुजरात)।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जयपुर।

———————

उपस्थितः–
1. श्री पुरूषोतम शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री इन्द्रजीत चौधरी अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से।

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 480 दिनांक 20.03.2024 जो कि रेस्पाडेन्ट संख्या 5 द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के हक में अवैधानिक तरीके से तस्दीक किया गया।

निर्णय दिनांकः 28.08.2025

अपीलांट ने यह अपीले तहसीलदार सांगानेर के निर्णय बाबत नामान्तकरण संख्या 477 तस्दीक दिनांक 06.03.2024, नामान्तकरण संख्या 480 तस्दीक दिनांक 20.03.2024, नामान्तकरण संख्या 481 तस्दीक दिनांक 20.03.2024 इस न्यायालय में दिनांक 19.09.2024 को प्रस्तुत की गयी। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। अपील संख्या 15/24 में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत चौधरी उपस्थित आये। अपील संख्या 16/24 में रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत चौधरी उपस्थित आये एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अपील संख्या 17/24 में रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत चौधरी उपस्थित आये एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अपीलाधीन नामान्तकरणों की ऑनलाईन छायाप्रति के आधार पर अपील पर बहस सुनी गयी। अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलाधीन तीन नामान्तकरण तस्दीक किये गये है। अतः प्रिसिंपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्त अनुसार तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तकरणो वाके ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर के संबंध में प्रस्तुत तीन अपीले पेश की गयी उक्त तीनों अपीलों में एक साथ बहस उपस्थित अभिभाषकगण सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि आराजी भूमि खसरा नंबर 41 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 220 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केशापुरा तहसील सांगानेर, में स्थित है। उक्त भूमि में हिस्से 1/4 में दर हिस्सा 1/3 भाग की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में श्री रामेश्वर के नाम दर्ज एवं अंकित थी, जो पारिवारिक बंटवारे के तहत गुल्लाराम व छोटूराम पुत्रान गोपी के संयुक्त हक एवं हिस्से में आई थी। तत्पश्चात उक्त गुल्लाराम व छोटूराम ने अपनी खातेदारी की हिस्से भूमि में 1/4 में दर हिस्सा 2/3 सम्पूर्ण हक एवं हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट को विक्रय कर दिया गया। जो विक्रय पत्र दिनांक 11.03.1986 को दर्ज एवं पंजीबद्व हुआ तथा उक्त गुल्लाराम व छोटूराम द्वारा रामेश्वर के हिस्से की भूमि 1/4 में से दर हिस्सा 1/3 का अपीलांट के पति/पिता राधेश्याम शर्मा से सौदा तय करते हुए बेचान की गई सम्पूर्ण भूमि की तयशुदा प्रतिफल राशि अपीलांट के पिता/पति से प्राप्त कर अपीलांट के पिता राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा के हक में एक प्रतिज्ञा पत्र निष्पादित कर स्वीकार किया गया कि वे रामेश्वर पुत्र गोपी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित विक्रय की गई भूमि का वाकई कब्जा अपीलांट के पति/पिता को सुपुर्द कर दिया जायेगा, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना शेष है। रामेश्वर पुत्र गोपी को मृत व नाऔलाद मानते हुए गुल्लाराम व छोटूराम के नाम नामान्तकरण संख्या 127 दिनांक 16.09.1983 खोला गया। किन्तु उक्त नामान्तकरण आदेश की अनुपालना में रामेश्वर पुत्र गोपी के हिस्से की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर के स्थान पर जमाबन्दी में गुल्लाराम व छोटूराम का नाम सहवन से इन्द्राज नहीं हो सका। तत्पश्चात भू प्रबन्ध की कार्यवाही के पश्चात अपीलांट के पिता/पति को विक्रय की गयी रामेश्वर के हिस्से की भूमि के नए खसरा नंबर 138/904 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 139 रकबा 0.67 हैक्टेयर व खसरा नंबर 460 रकबा 0.71 हैक्टेयर कायम किये गये। तत्पश्चात उक्त गुल्लाराम व छोटूराम का स्वर्गवास हो गया। जिनके स्वर्गवास के उपरान्त गुल्लाराम व छोटूराम के वारिसान से कई बार निवेदन किया कि वे अपने–अपने पिता द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की अनुपालना करते हुए उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाकर विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत करावे, किन्तु गुल्लाराम व छोटूराम के वारिसान अपीलांट के पिता को टालते रहे जिस कारण अपीलाधीन भूमि की खातेदारी मृतक रामेश्वर के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चली आई। अपीलांट के पति/पिता राधेश्याम द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कम 26 जयपुर महानगर सांगानेर में एक वाद संख्या 263/2015 बउनवानी राधेयाम बनाम रामजीलाल व अन्य पेश किया गया। जिस पर माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपीलांट के पति/पिता के वाद स्वीकार करते हुए अपीलांट के पति/पिता राधेश्याम को वाद को निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2019 के द्वारा अपीलांट के पति/पिता राधेश्याम के वाद को स्वीकार कर गुल्लाराम व छोटूराम के वारिसान को अपीलाधीन भूमि का विक्रय पत्र तीन माह के भीतर वादी के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हक में निष्पादित कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री होने के उपरान्त अपीलांट के पिता राधेश्याम का स्वर्गवास दिनांक 22.12.2019 को हो गया। इस दरमियान रेस्पाडेन्ट 1 लगायत 3 बाबूभाई, राजूभाई, बालजी भाई द्वारा रामेश्वर पुत्र गोपी का अवैधानिक वारिस बनकर एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज वारिसनामा तैयार कर लिया एवं उक्त वारिसनामें के आधार पर रामेश्वर पुत्र गोपी के हिस्से की भूमि के संबंध में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 477 तस्दीक करवा लिया। उक्त वारिसनामा दिनांक 19.01.2024 बिल्कुल गलत, मिथ्या, एवं फर्जी है तथा उक्त वारिसनामा रामेश्वर पुत्र गोपी जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम केशोपुरा के संबंध में नहीं होकर अन्य व्यक्ति रमेश भाई उर्फ रामेश्वर पिता गोपीचन्द, जाति राजपूत निवासी छीपा कब्रिस्तान, गीता मन्दिर के सामने, साडावाली, चाल अहमदाबाद के संबंध में जारी किया गया है। उक्त वारिसानामा का रामेश्वर पुत्र गोपी से किसी प्रकार को कोई लेना–देना व संबंध, सारोकार नहीं है। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय द्वारा निर्णित रेफरेन्स प्रकरण संख्या 18/2021 (45/15) में पारित निर्णय दिनांक 29.02.2024 में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व उनकी माताजी द्वारा पेश रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को रामेश्वर के वारिसान नहीं मानते हुए खारिज किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 एवं उनकी माता आम्बा देवी द्वारा नामान्तकरण संख्या 127 तस्दीक दिनांक 04.10.1983 को न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में चुनौती दी गयी एवं न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.09.2003 रेस्पाडेन्ट को रामेश्वर का वारिस नहीं मानते हुए अपील खारिज की गयी एवं नामान्तकरण संख्या 127 को यथावत रखा गया। उक्त निर्णयों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 से सांठ–गांठ कर कूटरचित एवं अवैधानिक दस्तावेज के आधार पर रामेश्वर की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 477 दिनांक 06.03.2024 को तस्दीक कर दिया। जिसके पश्चात रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा नामान्तकरण तस्दीक होने के पश्चात अपीलाधीन भूमि के संबंध में दो विक्रय पत्र रेस्पाडेन्ट शिवराज गुर्जर एवं शंकरलाल शर्मा के हक में निष्पादित कर दिये। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 481 दिनांक 20.03.2024, एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 480 दिनांक 20.03.2024 तस्दीक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक तरीके से अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 477, 480, 481 तस्दीक किये गये है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 477 तस्दीक दिनांक 06.03.2024 एवं नामान्तकरण संख्या 480, 481 तस्दीक दिनांक 20.03.2024 निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 (बाबू भाई, राजू भाई, बालजी भाई) द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा नियमानुसार जांच कर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये गये है। रामेश्वर के भाईयों को उक्त भूमि में रामेश्वर के अविभाजित हक एवं हिस्से को बेचान/हस्तान्तरण करने का

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

उक्त तथाकथित विक्रय पत्र किसी भी सक्षम अधिकारी से पंजीकृत नहीं है इसलिए अपंजीकृत दस्तावेज साक्ष्य में किसी प्रकार से ग्राह्य नहीं है। नामान्तकरण संख्या 127 दिनांक 16.09.1983 को गुल्लाराम, छोटूराम द्वारा फर्जकारी करते हुए तस्दीक करवाया गया है। गुल्लराम, छोटूराम ने स्वयं को सक्षम न्यायालय से रामेश्वर का उत्तराधिकारी घोषित नहीं करवाया गया था, रामेश्वर की भूमि का कोई हक व अधिकार नहीं था। अपीलांट द्वारा छोटूराम व गुल्लाराम के वारिसान से मिलीभगत कर माननीय सिविल न्यायालय से एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर दिनांक 13.05.2019 को निर्णय पारित करवाया गया है। उक्त प्रकरण में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को पक्षकार भी नहीं बनवाया गया है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उनके पिता रामेश्वर उर्फ रमेश भाई पुत्र गोपी का स्वर्गवास होने पर नामान्तकरण हेतु नियमानुसार आवेदन दिया। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट पर छोटूराम के पुत्र रामजीलाल व गुल्लाराम के पुत्र महेश शर्मा के हस्ताक्षर है। जिसके पश्चात तहसीलदार सांगानेर द्वारा जिला कलक्टर भू.अ. जयपुर को रामेश्वर के वारिसान की जांच हेतु पत्र दिनांक 07.12.2023 को प्रेषित किया गया। मृतक रामेश्वर के वारिसान का कुर्सीनामा जिला कलक्टर अहमदाबाद गुजरात से प्राप्त होने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हक में विरासत का नामान्तकरण संख्या 477 तस्दीक किया गया है। अपीलांट के पिता स्व0 राधेश्याम का रेस्पाडेन्ट की अपीलाधीन भूमि से कोई संबंध नहीं है। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा भूमि का बेचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र शंकरलाल एवं शिवराज के हक में किया गया है जिसके आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 480, 481 तस्दीक किये गये है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 28/24, 29/24, 30/24 खारिज की गयी है। गुल्लाराम व छोटूराम द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र में भी उल्लेखित है कि जो हिस्सा रामेश्वर का है उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अपीलांट रामेश्वर द्वारा बेचान की गई भूमि को विवादित कर हडप करना चाहते इसलिए गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार सांगानेर द्वारा मुताबिक विरासत एवं उसके पश्चात रजि0 विक्रय पत्रों के आधार पर तस्दीक किया है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 477 की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 06.03.2024 को पटवारी हल्का रामेश्वर पुत्र गोपी के फौत होने पर मुताबिक तहसील आदेश कमांक 1420 दिनांक 20.02.2024 एवं 1393 दिनांक 05.02.2024 के आधार पर भरा गया जिसे तहसीलदार

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

सांगानेर द्वारा दिनांक 06.03.2025 को रामेश्वर पुत्र गोपी के वारिसान रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 के हक में स्वीकार किया गया। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के पश्चात रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नंबर 138/904 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 139 रकबा 0.67 हैक्टैयर का बेचान रेस्पा0 शंकरलाल शर्मा के हक में जरिये रजि0 विक्रय पत्र कर दिया गया। उक्त रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 480 दिनांक 20.03.2024 को तस्दीक किया गया। इसी प्रकार रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा ग्राम केशोपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 460 रकबा 0.71 है0 का बेचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र रेस्पा0 शिवराज गुर्जर के हक में निष्पादित किया गया। उक्त रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 481 दिनांक 20.03.2024 को रेस्पा0 शिवराज गुर्जर के हक में तस्दीक किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पाडेन्ट बाबूलाल, राजूलाल, वालजी एवं उनकी माता आम्बा देवी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील संख्या 85/2001 बउनवानी आम्बा देवी बनाम भगवानसहाय विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 127 तस्दीक दिनांक 04.10.1983 वाके ग्राम केशोपुरा पेश की गयी। न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2003 अनुसार "रमेश भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र गुजरात से जारी किया गया है। जिसे मृतक रामेश्वर का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत रमेश भाई के मृत्यु प्रमाण पत्र को जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा मृतक रामेश्वर का होना घोषित नहीं किया जाता तब तक मृतक रामेश्वर का नहीं माना जा सकता है"। इस आधार पर रेस्पाडेन्ट की अपील दिनांक 02.09.2003 को खारिज की गयी।

रेस्पाडेन्ट द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय में प्रस्तुत भूमि अवाप्ति रेफरेन्स प्रकरण संख्या 18/2021 (45/15) बउनवानी अम्बा देवी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.02.2024 में पृष्ठ संख्या 7 में वर्णित तथ्यो अनुसार "प्रार्थीगण की ओर से रामेश्वर की पत्नी अम्बाबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसमें उसके पति का रामेश्वर लिखवाया है, जाति राजपूत है, जबकि इस प्रकरण में ये सभी जाति से शर्मा है। इसलिए यह मृत्यु प्रमाण पत्र यह स्पष्ट नहीं करता है कि मृतक रमेश भाई या रामेश्वर ब्राहम्ण थे और इसकी पत्नी अम्बा देवी मृतका थी। रमेश भाई का भी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश हुआ है, जिसमें उसके पिता का नाम गोपीचंद अवश्य लिखा हुआ परन्तु इस आधार पर कलेक्टर द्वारा निर्णय किया जा चुका है। दस्तावेज प्रदर्श डी–3 के अनुसार तो अम्मा देवी को हयात की पत्नी तथा अम्मा देवी के तीन पुत्र राजूभाई, बाबूभाई व बालजी को हयात के तीन पुत्र होना दर्शाया गया है। अम्मादेवी तो दूसरी शादी कर सकती है, परन्तु उसके पुत्र का नाम भी बदल गया, यह विश्वास से परे की स्थिति को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

निमित करता है और इस न्यायालय को इसी तथ्य पर विश्वास करने के लिए बाध्य करता है कि रामेश्वर के उत्तराधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यो के आधार पर रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 (बाबूलाल, राजूलाल, वालजी) रेफरेन्सकर्ता का रेफरेन्स माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा दिनांक 29.02.2024 को खारिज किया गया।

अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि के संबंध में रजि0 विक्रय पत्र एवं न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कम 26 जयपुर महानगर मुख्यालय सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2019 के आधार पर अपना हक अधिकार जाहिर किया है। न्यायालय हाजा को हक अधिकार तय करने बाबत क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है।

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 477, 480, 481 के संबंध में रमेश चन्द शर्मा द्वारा अपील संख्या 28/24, 29/24, 30/24 बउनवानी रमेश चन्द शर्मा बनाम बाबूभाई इस आधार पर पेश की गयी थी कि रामेश्वर जी गुजरात चले गये एवं उन्होने अपीलाधीन भूमि अपीलांट के पिता को सुपुर्द कर दी थी। सुपुर्द करने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुसार कोई हक अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होते है इसलिए उक्त अपीले न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.04.2025 द्वारा खारिज की गयी। किन्तु हस्तगत अपीलाधीन प्रकरणों एवं नामान्तकरणों के संबंध में नये तथ्य एवं सुसंगत दस्तावेज पेश किये गये है।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा सीटी मामलतादार मणिनगर, अहमदाबाद द्वारा दिनांक 20.01.2024 को रमेश भाई उर्फ रामेश्वर पुत्र गोपीचन्द राजपूत (मृतक) के वारिसनामें के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 477 तस्दीक किया है, किन्तु उक्त वारिसनामें भी रामेश्वर पुत्र गोपीचन्द की जाति राजपूत अंकित है जबकि रामेश्वर पुत्र गोपीचंद की जाति हरियाणा ब्राहम्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाति के संबंध में गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि एवं रामेश्वर पुत्र गोपीचंद के वारिसान के संबंध में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2003 एवं माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2024 का भी अवलोकन नहीं किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा सिर्फ वारिसनामा प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 477 तस्दीक किया गया जबकि ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि रामेश्वर पुत्र गोपी जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम केशोपुरा ही रमेश भाई उर्फ रामेश्वर पुत्र गोपीचन्द जाति राजपूत, निवासी अहमदाबाद है साथ ही रेस्पाडेन्ट द्वारा जाति में भिन्नता के संबंध में भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधित प्रामाणिक दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर एवं माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा रेस्पाडेन्ट बाबूभाई, राजू भाई, वालजी भाई को रामेश्वर पुत्र गोपीचंद का वारिस नहीं मानते हुए निर्णय पारित किये गये जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 बाबूभाई, राजू भाई, वालजी भाई को रमेश भाई उर्फ रामेश्वर के वारिसनामें के आधार पर ही नामान्तकरण संख्या 477 दिनांक 06.03.2024 को तस्दीक किया है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर एवं माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा पारित निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 477 सम्पूर्ण जांच कर एवं सभी तथ्यो को ध्यान में रखते हुए तस्दीक नहीं किया जाना जाहिर होता है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर रामेश्वर पुत्र गोपीचंद के वारिसनामें के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण संख्या 477 एवं उसके पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण संख्या 480, 481 खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 बाबत नामान्तकरण संख्या 477, वाके ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर निरस्त किया जाता है एवं नामान्तकरण संख्या 477 के पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण संख्या 480 दिनांक 20.03.2024, नामान्तकरण संख्या 481 दिनांक 20.03.2024 भी निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी, साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान कर रामेश्वर पुत्र गोपीचंद जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर के वारिसान की पुनः विधिवत जांच कर एवं माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर व माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को मद्देनजर रखते हुए एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों की रोशनी में गुणावगुण के आधार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर